संख्या – 16 गोशाला विकास/2012 .....69.....

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

नर्मदेश्वर लाल, भा0प्र0से0,
सरकार के सचिव।

URGENT
माननीय उच्च न्यायालय के अवमाननावाद से संबंधित

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना/नालन्दा/नवादा/जहानाबाद/भागलपुर/मुंगेर/जमुई/शेखपुरा/अररिया/
पूर्णियां/कटिहार/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगुसराय/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/सारण।

पटना – 15, दिनांक .....12-03-15.....

विषयः आपके जिले में स्थित बिहार गोशाला अधिनियम 1950 के तहत निबंधित गोशालाओं की परिसम्पतियों/अवैध दखल हटाने के संबंध में।

प्रसंगः माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन अवमाननावाद संख्या एम.जे.सी. संख्या 590/2014 में दिनांक 28.02.2015 तथा 23.01.2015 को पारित आदेश तथा विभागीय पत्रांक– 15दिनांक 17.01.2015, पत्रांक–18 दिनांक 27.01.2015, पत्रांक– 21 दिनांक 30.01.2015, पत्रांक– 29 दिनांक 06.02.2015, पत्रांक–30 दिनांक 06.02.2015, पत्रांक– 31 दिनांक 06.02.2015 तथा पत्रांक– 48 दिनांक 21.02.2015।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कृपया उपरोक्त पत्रों का अवलोकन किया जाये। वर्तमान मामले में प्रसंगिक पत्रों द्वारा दिये गये निदेश उक्त वादों की पृष्ठभूमि में है। वर्तमान अवमाननावाद एम0जे0सी0 590/2014 में दिनांक 23.01.2015 को यह आदेश पारित किया गया था कि 02.02.2015 तक सभी शेष गोशालाओं से सूचना प्राप्त कर प्रस्तुत की जाय, जिन मामलों में कोई न्यायिक या अर्द्ध–न्यायिक आदेश पारित नहीं है, वैसे मामलों में विशेष कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाय; तथा जिन मामलों में स्थगन आदेश है वैसे मामलों में अधिकतम एक माह के भीतर स्थगन आदेश को समाप्त करने की कार्रवाई की जाय तथा अतिक्रमण हटाया जाय। पुनः दिनांक 18.02.2015 को पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया है कि एम0जे0सी0 संख्या 6472/2012 में दिनांक 21.06.2013 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। सभी गोशालाओं के अतिक्रमित भूमि को विधिसम्मत ढंग से अतिक्रमण हटाने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी को देने का अनुरोध किया गया था। यह भी अनुरोध किया गया था कि लंबित वादों में संबंधित न्यायालयों के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.01.2015 की सूचना समर्पित करते हुये निर्धारित तिथि तक स्थगन आदेश रिक्त कराने/वाद का निष्पादन करने की प्रार्थना की जाय। साथ ही दिनांक 25.02.2015 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेसिंग में भी आपको स्पष्ट निदेश दिया गया था कि गोशाला की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में कार्रवाई की जाय तथा इसे वैधानिक परिणति तक शीघ्र लाया जाय। परन्तु, आपके द्वारा आज तक इस संबंध में कृत कार्रवाई एवं अतिक्रमण मुक्त भूमि का ब्यौरा अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित विभिन्न न्यायादेश के अनुपालनार्थ विहित प्रपत्र में अद्यतन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के ई0मेल पर दिनांक 14.03.2015 तक अचूक रूप से भेज दिया जाय ताकि ससमय माननीय उच्च न्यायालय में शपथपत्र दायर किया जा सके।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

12/3/2015

सरकार के सचिव।